निर्मित
24/09/19

प्रा० पत्र सं. 37/2019
24-09-19

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

क्रमांक : ~~लोक~~ अदालत / 2019 / 37 दिनांकः– 24-09-19

–: निर्णय :–

प्रार्थी श्री गौरी शंकर पुत्र / पुत्री / पत्नी रामलाल ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटवादनाथोतान पटवार मण्डल कोटवाद ताल तहसील चूरू जिला चूरू की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 24 में खातेदार / ~~गैर खातेदार~~ का नाम / ~~जाति~~ गोरू पुत्र रामू अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से गौरी शंकर पुत्र रामलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी हल्का कोटवाद ताल से करवाने पर पटवारी ने गोरू पुत्र रामू के बजाय गौरी शंकर पुत्र रामलाल करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरू ने भी उक्त खाते में गोरू पुत्र रामू के बजाय गौरीशंकर पुत्र रामलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम कोटवादनाथोतान के खाता संख्या 24 में खातेदार / ~~गैर खातेदार~~ का नाम / ~~जाति~~ गोरू पुत्र रामू के स्थान पर सम्मानजनक रूप से गौरीशंकर पुत्र रामलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरू